राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः–खअ/सोजत/अना/स्टॉक/निलामी/2024/5467 दिनांक 06.02.2024

–:बजरी निलामी सूचनाः–

पाली जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध खनन/निर्गमन चैंकिग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में निविदाएं (दरें) दिनांक 19.02.2024 (दुपहर 2:00 बजे तक) कार्यालय खनि अभियंता, सोजत सिटी में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सिलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिंनाक 19.02.2024 को सांयः 4:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	स्थान का नाम जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी हैं।	बजरी की अनुमोदित मात्रा (टनों में)	कुल मात्रा (टनों में)	बयाना/अमानत राशि (रू.में)	न्यूनतम बोली राशि (रू.में)
1.	ग्राम जवड़िया तहसील व जिला पाली	213.00	213.00	9585	95850

निलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगीः–

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से पुलिस थाना/क्षेत्र/स्थल का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिये। सभी निविदायें कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजत सिटी में रखें टेन्डर बोक्स में दिनांक 19.02.2024 (दुपहर 2:00 बजे तक) डाली जा सकेगी। प्राप्त निविदाऐं उसी दिन सांयः 4:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना /अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बेकर्स चैक जो संबंधित खनि अभियन्ता, सोजत सिटी के नाम, हो, निविदा पत्र के साथ संलग्न करना होगा(नकद राषि मान्य नही होगी।)। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर / चौकी / स्थल की बजरी के लिए निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बेकर्स चौक अलग–अलग के संलग्न करने होगे । निविदा राशि 10 रू प्रति टन के गुणक में ही मान्य होगी।
3. निविदा पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि निविदादाता या निविदादाता फर्म, फर्म के भागीदारों / कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/स्थल पर की जा सकती है। इसकी जानकारी कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजत सिटी के तकनिकी स्टाफ से ली जा सकती है।
5. जब्तशुदा बजरी संबंधित थाना/चौकी/क्षेत्र/ स्थल में जेसी भी जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपूर्द की जावेगी। खनिज बजरी की सुरक्षा आदि निलामी कार्यवाही के पष्चात उच्चतम निविदा दाता की होगी।
6. प्राप्त निविदायें कमेटी द्वारा दिनांक 19.02.2024 को सांयः 4:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजत सिटी में खोली जाकर उच्चतम निविददाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के तीन कार्य दिवस में सम्पूर्ण निविदा राशि के डीडी के साथ–साथ संबंधित बजट मद में जमा कराकर चालान की प्रति कार्यालय में जमा करानी होगी। तीन दिवस में शेष राषि जमा नहीं कराने अथवा राशि जमा होने की तिथी से 5 एवं अधिकतम् 6 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा बयाना /अमानत राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जावेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक के उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, मजदूरी व परिवहन इत्यादि अन्य खर्चे) अपने स्तर पर ही करनी होगी। उक्त कार्यवाही में किसी भी तरह जन हानि/ दुर्घटना अथवा टूट–फूट के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं इस पर होने वाले समस्त व्यय निविदादाता का ही होगा ।

खनि अभियन्ता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग
सोजत सिटी जिला पाली

8. निविदादाता को पहचान पत्र/फोटो आई डी इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारी नामा एवं मुख्त्यार नामा यदि जारी किया गया हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निवेशकों की सूची इत्यादि की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ में सलग्न करनी होगी।

9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।

10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उर्ज/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होगा एवं किसी भी न्यायिक वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र पाली होगा।

11. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता, सोजत सिटी द्वारा वाहन के वजन क्षमतानुसार रवन्ना जारी किये जायेंगे तथा खनिंज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी खनिज बजरी से भरा वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

12. सफलतम निविदादाता को बजरी परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम् 6 दिवस ही अनुमत होगा।

13. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपरिथति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

14. तुलाई के बाद वाहनों निर्गमन से पूर्व उनका इंद्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेन्स की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियंता, अधीक्षण खनि अभियंता एवं अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता) को व्हाट्सअप पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

15. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधिकृत तुला यंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र में संबंधित उपर अंकित अधिकारियों को व्हाटसअप पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।

16. नीलामी की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा । सफलतम निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।

17. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों वाहनों की तोल पर्चियां एवं भर हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

18. प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस में सफल निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

19. सफल निविदादाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

20. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्युअल खन्ना जारी किया जावेगा।

21. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

22. शेष सभी शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार रहेगी।

6/2/24
खनि अभियंता
सोजत सिटी

खनि अभियंता,
खान एवं भूविज्ञान विभाग
सोजत सिटी जिला पाली

क्रमांकः—खअ / सोजत / अना / स्टॉक / निलामी / 2024 / 5468 — 5479 दिनांक 06.02.2024

प्रतिलिपिः— निम्न को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, पाली।
3. **श्रीमान निदेशक महोदय, निदेशालय** खान एवं भू—विज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. श्रीमान नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस. निदेशालय खान एवं भू—विज्ञान विभाग, उदयपुर को वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित हैं।
5. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू—विज्ञान विभाग, जोधपुर।
6. श्रीमान अधीक्षण खनि, खान एवं भू—विज्ञान विभाग, जोधपुर।
7. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ....पाली.... ।
8. श्रीमान तहसीलदार ....पाली.... ।
9. सहायक खनि अभियंता (सत.) सोजत सिटी।
10. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना ....सदर पाली.... ।
11. निलामी कमेटी सदस्य श्री.......................................कार्यालय खनि अभियंता सोजत सिटी।
12. सूचना सहायक कार्यालय हाजा विभागीय पोर्टल व एसपीपी पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

6/2/24

खनि अभियंता
सोजत सिटी
खनि अभियंता
खान एवं भूविज्ञान विभाग
सोजत सिटी जिला पाली

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, सोजत सिटी जिला पाली

–:निविदा/बोली प्रपत्रः–

- निलामी सूचना कमांक................................ दिनांक...
- निलामी सूचना :– 01/2024 दिनांक..
- निलामी प्रपत्र (सीलबंद) प्रस्तुत करने की दिनांक 19.02.2024 व समय दुपहर 2:00 बजे तक
- निलामी प्रपत्र (सीलबंद) खोलने की दिनांक 19.02.2024 व समय सायः 4:00 बजे तक
- स्थानः– कार्यालय खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग सोजत सिटी
- बोली दाता फर्म/कम्पनी का नाम व पता मय दूरभाष संख्या :– ....
  ....
  ....
  .
- बोलीदाता फर्म का पंजीयन/जीएसटी कमांक एवं पैन नं. –..

क. सं.	स्थान का नाम जहां जब्तशुदा बजरी पड़ी हैं।	बजरी की अनुमोदित मात्रा (टनों में)	न्यूनतम बोली राशि (रू.)	बयाना/अमानत राशि (रू.)	प्रस्तावित बोली राशि(रू.)
1.	ग्राम जवड़िया तहसील व जिला पाली	213.00	95850/–	9585/–	....

प्रस्तावित बोली राशि रू. (शब्दों में)..

- बयाना/अमानत राशि के डीडी/बैंकर्स चैक का कमांक................................... दिनांक......................

हम/ हमारी फर्म द्वारा जारी निलामी सूचना में वर्णित समस्त शर्तों पर सहमत हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता